जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-17.03.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पशुओं को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाते 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पशु (11 रास गाय व 02 बछडे) एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रक बरामदः-

दिनांक 16.03.2025 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बिडौली फ्लाईओवर के नीचे से पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाते 03 अभियुक्तों को परिवहन में प्रयुक्त ट्रक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.हरेन्द्र पुत्र स्वरूप सिंह निवासी मानखेडी थाना मरीण्डा जनपद रोपड पंजाब।

2.चन्दशेखर पुत्र राम अवध निवासी नरसिंह पुर थाना चैनपुर जनपद कैमूर भाभुआँ बिहार।

3.आकाश कुमार पुत्र नन्ने सिंह निवासी जगारिया थाना चैनपुर जनपद कैमूर भाभुआँ बिहार।

बरामदगी का विवरणः-

1.पशु (11 रास गाय व 02 बछडे)।

2.परिवहन में प्रयुक्त ट्रक रजि0 नं0- PB 65 AR 7271

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्तः-

मु0अ0सं0 103/2025 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबन्धित पशु कटान की घटना में वांछित 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 15.03.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लउवादाउदपुर के जंगल में गन्ने के खेत में कुछ गौवंश के अवशेष पडे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके संबंध में थाना झिंझाना पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना के अनावरण हेतु 04 टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं गौकशी की घटनाओं के रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित पशु कटान की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त जावेद, इकबाल व रहीश को दिनांक 16.03.2025 की रात्रि में पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.समीर पुत्र शहजाद निवासी मौहल्ला लाही बक्स थाना व कस्बा गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

1.अवैध 01 चाकू।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा महिला को आत्महत्या करने हेतु उकसाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि वादी श्री अरुण शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी ग्राम बावेल बुजुर्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर ने अपनी बहन पूजा को उसके ससुराल वालों द्वारा परेशान करने जिसके कारण दिनांक 29.01.2025 को आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर नामजद तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थानाभवन क्षेत्रांतर्गत महिला को आत्महत्या करने हेतु उकसाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना थानाभवन पुलिस लगातार प्रयासरत है, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अभिषेक उर्फ जोनी पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम खानपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2017 में अभियुक्त अनस पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 09/2017 धारा 147/341/188 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CEL SHAMLI</u>